



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं.(CIN) : U40109RJ2000SGC016485
पंजीकृत कार्यालय: "विद्युत भवन", जनपथ, जयपुर 302005

कमांक : राराविप्रनि/भर्ती (अनुकम्पा)/प. 682 /प्रे. 320

जयपुर, दिनांक 28/7/16

आदेश

श्री जितेन्द्र पारीक पुत्र स्व. श्री भंवर लाल पारीक को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. में उनके पिता के स्थान पर अनुकम्पात्मक आधार पर सहायक-द्वितीय के पद पर, दो वर्ष की कालावधि के लिये, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक पर नीचे दर्शायी गई शर्तों एवं नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के आगे इंगित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	आश्रित का नाम, पिता/पति का नाम व पता	जन्म दिनांक	पु/महिला	श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	श्री जितेन्द्र पारीक पुत्र स्व. श्री भंवर लाल पारीक, निवासी श्याम विहार कॉलोनी, मालियो की ढाणी, वार्ड न. 07 मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर 305801	25.01.1991	पुरुष	सामान्य	सहायक अभियन्ता (132 के.वी. जी.एस.एस.) रा.वि.प्र.नि.लि, किशनगढ़।

नियत मासिक पारिश्रमिक/वेतन श्रृंखला:-

परिवीक्षाकालावधि के दौरान इन्हें निगम के आदेश कमांक/राराविप्रनि/AAO/एफ एण्ड आर/एफ.87 (पीटी-III) /प्रे. 61 दिनांक 24.06.2015 (F&R No.943) के अन्तर्गत नियमानुसार नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 7000/- मात्र देय होगा। परिवीक्षाकालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर निम्नानुसार वेतनमान अनुज्ञाप्त किया जायेगा :-

क्र. सं.	पदनाम	पे.बैंड संख्या	वेतन श्रृंखला	ग्रेड पे. संख्या	ग्रेड पे.
1	सहायक द्वितीय	1	5200-20200	3	1750

Luud

नियम एवं शर्तें :-

- 1 नियुक्त दो वर्ष की परिवीक्षाकालावधि पर अस्थाई है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थी का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षाकालावधि में वृद्धि की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि की गणना वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए नहीं की जायेगी। यद्यपि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में व्यतीत की गई अवधि की गणना अनुभव एवं पदोन्नति के लिए की जायेगी।
- 2 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा काल में केवल नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं विशेष वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, परियोजना भत्ता, धुलाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो किसी भी नाम से जाने जाते हों, देय नहीं होंगे। इसी प्रकार जहां निर्धारित गणवेश पहनना विधिक रूप से अनिवार्य हो, को छोड़कर गणवेश भी देय नहीं होगी।
- 3 नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन (विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा महंगाई वेतन/भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है। किन्तु दुराचार/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चरित्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नहीं होने के मामले में उसकी सेवाएं किसी भी प्रकार की लिखित सूचना/मुआवजा के बिना समाप्त की जा सकेगी।
- 4 पदभार ग्रहण करने के समय अभ्यर्थी को स्वयं के नाम से जारी 100/- रु. मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक बॉण्ड (प्रारूप परिशिष्ट-‘अ’ संलग्न है) जो कि प्रसारण निगम में देने सम्बन्धी प्रयोजन में हो, देना होगा, जिसमें वह यह घोषणा करे कि वह परिवीक्षा प्रशिक्षु काल में तथा परिवीक्षा काल समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक प्रशिक्षण/सेवा को नहीं छोड़ेगा या त्यागपत्र नहीं देगा या कोई अन्य नौकरी नहीं करेगा। यदि वह इन नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे निगम द्वारा दिये गये सभी प्रकार के पारिश्रमिक, प्रशिक्षण में निगम द्वारा किये गये खर्च तथा सूचना अवधि की वेतन की राशि निगम को देनी होगी। जो कि अधिकतम 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) होगी, केवल TA&DA (जो कि संबंधित नियमों के अनुसार दिया गया है,) में छूट होगी और अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान जो कि प्रसारण निगम को देय हो, देना होगा। उक्त राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, मांग तिथि से एकमुश्त भुगतान की तिथि तक देय होगा।
- 5 नियुक्त व्यक्ति तीन वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने से पूर्व निगम सेवा से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे तीन माह पूर्व सक्षम अधिकारी को लिखित नोटिस देना होगा। यदि वह उक्त प्रावधान का उल्लंघन करता है तो तीन माह की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उसके बराबर वेतन का भुगतान निगम को क्षतिपूर्ति के रूप में करना होगा। राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में राशि की कटौती उसको देय वेतन एवं अन्य बकाया भुगतानों से की जा सकेगी।
- 6 उक्त अभ्यर्थियों को जमानत के तौर पर किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी जिसकी ग्रेड पे 2000 या अधिक हो, की जमानत (Surety) देनी होगी। जिसमें यह उल्लेखित हो की यदि वह शर्त संख्या 4 की अनुपालना के बिना निगम की सेवा का त्याग करता है तो उस केन्द्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी द्वारा निगम को क्षतिपूर्ति/हर्जाना देना होगा। (प्रारूप परिशिष्ट ‘ब’ संलग्न है)

LuA

- 7 परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । कार्य पर रहते हुए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं परीवीक्षा काल के दौरान स्थानांतरण पर मासिक नियत पारिश्रमिक के आधार पर माइलेज भत्ता एवं इंसीडेंटल चार्ज ही देय होंगे ।
- 8 नियुक्त व्यक्ति निगम की भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के सदस्य होंगे एवं इनके वेतन से पीएमसीएफ की कटौती नहीं की जायेगी ।
- 9 यदि नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अधीन नहीं आता हो तो वह मेडीक्लेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुर्नभरण राशि नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगा ।
- 10 प्रशिक्षणार्थी सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत समाविष्ट होगा जिसकी प्रीमियम राशि की नियमित कर्मचारियों की भाँति उसके पारिश्रमिक में से कटौती की जायेगी ।
- 11 निगम की आवासीय कॉलोनी में आवास उपलब्ध होने पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक को मूल वेतन मानते हुए साधारण किराये की दर से आवास आवंटित किया जा सकेगा ।
- 12 i परीवीक्षा प्रशिक्षु कालावधि में नियुक्त व्यक्ति को एक कैलेण्डर वर्ष में 12 एवं इससे कम अवधि के लिए इसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश देय है ।
ii परीवीक्षा प्रशिक्षु कालावधि में प्रत्येक 20 दिन के लिए एक उपार्जित अवकाश देय होगा जो कि एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 18 दिन देय होगा ।
iii सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मिनल लीव), मातृत्व/पितृत्व अवकाश नियमानुसार देय होगा ।
- 13 परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा ।
- 14 यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन रहेगी । कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को अपना आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक (जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रधान चिकित्सा अधिकारी/राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध अस्पताल अधीक्षक के स्तर से कम न हो) द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु दिये गये चिकित्सा परीक्षण शुल्क की राशि का पुनर्भरण (Reimbursement) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा कर दिया जायेगा ।
- 15 यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन रहेगी । कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । इसके अभाव में उसकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस/सूचना के समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी ।

- 16 प्रशिक्षणार्थी की नियुक्ति बिना किसी सूचना के स्वतः समाप्त हो जायेगी, यदि यह पाया गया कि 01.06.2002 को या बाद में प्रशिक्षणार्थी के 2 से अधिक बच्चे हैं। यदि 01.06.2002 से पहले 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसकी नियुक्ति की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।
- 17 यह नियुक्ति अस्थाई है एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के अध्यक्षीन रहेगी।
- 18 नियुक्त व्यक्ति को आवश्यकतानुसार निगम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।
- 19 सेवा की अन्य नियम एवम शर्तें निगम के समान श्रेणी के कार्मिकों के समान होगी।
- 20 परिवीक्षाकालावधि में स्थानान्तरण सम्बन्धी किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 21 नियुक्त व्यक्ति को एक लिखित उद्घोषणा इस आशय हेतु प्रस्तुत करनी होगी कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भलीभांति पालन-पोषण करेगा एवं उनकी उचित ढंग से देखभाल करेगा। यदि किसी समय यह बात साबित हुई कि नियुक्त कर्मचारी अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रहा / रही है या उनका उचित ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो नियोक्ता अधिकारी उसे एक अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा।
- 22 उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण पत्र लिया जावेगा कि मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृतिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृतिलाभ दिया जा रहा है तो भृतिलाभ बंद करने हेतु उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें जहां मृतक कर्मचारी कार्यरत था तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवायें।
- 23 कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति/पदधारी को निम्नलिखित दस्तावेज एवं मूल प्रमाण पत्र संवीक्षा के लिए एवं उनकी सत्यापित प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु प्रस्तुत करनी होंगी:-
 - i सैकेण्डरी स्कूल अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी की जन्म दिनांक अंकित हो।
 - ii शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित दस्तावेज यदि कोई हो।
 - iii अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।
 - iv सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (यदि विवाहित हो)
 - v विवाहित होने की दशा में शपथ पत्र जिसमें सभी बच्चों (दत्तक एवं सौतेले सहित) के नाम और जन्म दिनांक अंकित हो और संतान नहीं होने की दशा में एक शपथ पत्र।
 - vi मूल निवास प्रमाण-पत्र।

Lund

- vii यदि सामान्य/अपिव/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का अभ्यर्थी राजस्थान के घोषित जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का मूल निवासी हो तो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- viii एक स्वप्रमाणित शपथ पत्र कि उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और उसे किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोषी करार नहीं दिया गया है। यदि वह किसी भी आपराधिक मामले में दोषी है अथवा उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसका शपथ पत्र में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाये।
- ix परिवीक्षा अवधि के दौरान एवं नियुक्ति के पश्चात् निगम से किसी भी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् निगम सेवा छोड़ने /त्याग पत्र देने की स्थिति में 100/- रुपये के नान् ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड/बाध्य पत्र (प्रारूप परिशिष्ट-‘अ’ संलग्न है)।
- x किसी केन्द्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम (Public Undertaking) के कर्मचारी (ग्रेड-पे 2000 या उससे ऊपर) से परिशिष्ट-‘ब’ के अनुसार जमानती बॉण्ड/बाध्य पत्र। (नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प जमानत देने वाले के नाम से क्रय किया गया हो।)
- xi नियुक्ति के समय प्रस्तुत आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- xii नियुक्ति के समय प्रस्तुत पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।
- xiii शर्त 21 के अनुसार लिखित बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग)।
- xiv शर्त 22 के अनुसार लिखित लिखित बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग)।
- xv शपथ पत्र बाबत दिवंगत कर्मचारी का कोई भी (पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड,संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो-के अधीन पहले से ही नियोजित नहीं है परन्तु मृतक कर्मचारी की पत्नि के नियुक्ति प्रकरण में यह शर्त लागू नहीं होगी।
- xvi दो उत्तरदायी व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो कि छः माह से पूर्व का जारी न किया गया हो।
- xvii बचनबंधता (अंडरटेकिंग) – कि नियुक्ति के पश्चात कर्मचारी धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करेगा। (बचनबंध प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट ‘स’ संलग्न है)
- xviii नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि पर स्वलिखित एवं हस्ताक्षरित स्वीकृति जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि – “मैंने अपने सहायक-द्वितीय (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु) के नियुक्ति आदेश के नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ।”


LSA

यदि नियुक्ति की उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य है तो अभ्यर्थी पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करें। निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थिति नहीं देने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी उक्त अभ्यर्थी के कार्य पर उपस्थित होने की सूचना इस कार्यालय को भिजवायें।


संलग्न :-

आज्ञा से,


(पुखराज सेन)
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य लेखा नियंत्रक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी) राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम, अजमेर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (टी.एण्ड.सी) रा.वि.प्र.नि.लि, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (MIS) रा.वि.प्र.नि., जयपुर को उक्त आदेश को मय संलग्नक प्रसारण निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
6. उप निदेशक कार्मिक (मुख्यालय/टी.एण्ड.सी.) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर/अजमेर।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता (220 के.वी. जी.एस.एस.) रा.वि.प्र.नि.लि, किशनगढ़।
9. सचिव (अंशदायी भविष्य निधि न्यास), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
10. लेखाधिकारी (टी.एण्ड.सी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, अजमेर।
11. सहायक अभियन्ता (132 के.वी. जी.एस.एस.) रा.वि.प्र.नि.लि, किशनगढ़।
12. निजी सचिव-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
13. निजी सहायक, सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
14. सहायक कार्मिक अधिकारी (तकनीकी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
15. श्री जितेन्द्र पारीक पुत्र स्व. श्री भंवर लाल पारीक, निवासी श्याम विहार कॉलोनी, माकियों की ढाणी, वार्ड न. 07 मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर 305801
16. कार्यालय पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।


(अमिताभ गुप्ता)
संयुक्त निदेशक कार्मिक
28/7/16



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं.(CIN) : U40109RJ2000SGC016485

पंजीकृत कार्यालय: "विद्युत भवन", जनपथ, जयपुर 302005

क्रमांक : राराविप्रनि/भर्ती (अनुकम्पा)/प. 640 /प्रे. 315

जयपुर, दिनांक 28/7/16

आदेश

श्री भीम सिंह पुत्र स्व. श्रीमती शान्ती देवी को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. में उनके पिता के स्थान पर अनुकम्पात्मक आधार पर सहायक-द्वितीय के पद पर, दो वर्ष की कालावधि के लिये, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक पर नीचे दर्शायी गई शर्तों एवं नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के आगे इंगित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	आश्रित का नाम, पिता/पति का नाम व पता	जन्म दिनांक	पु/महिला	श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	श्री भीम सिंह पुत्र स्व. श्रीमती शान्ती देवी, निवासी गांधी नगर, छ: खम्बों के पास, रेलवे स्टेशन के पास, भरतपुर (राज.) - 321203	15.07.1979	पुरुष	सामान्य	सहायक अभियन्ता (132 के.वी. जी.एस.एस.) रा.वि.प्र.नि.लि, गोविन्दगढ़।

नियत मासिक पारिश्रमिक/वेतन श्रृंखला:-

परिवीक्षाकालावधि के दौरान इन्हें निगम के आदेश क्रमांक/राराविप्रनि/AAO/एफ एण्ड आर/एफ.87 (पीटी-III) /प्रे. 61 दिनांक 24.06.2015 (F&R No.943) के अन्तर्गत नियमानुसार नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 7000/- मात्र देय होगा। परिवीक्षाकालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर निम्नानुसार वेतनमान अनुज्ञापित किया जायेगा :-

क्र. सं.	पदनाम	पे.बैण्ड संख्या	वेतन श्रृंखला	ग्रेड पे. संख्या	ग्रेड पे.
1	सहायक द्वितीय	1	5200-20200	3	1750

नियम एवं शर्त :-

- 1 नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकालावधि पर अस्थाई है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थी का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षाकालावधि में वृद्धि की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि की गणना वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए नहीं की जायेगी। यद्यपि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में व्यतीत की गई अवधि की गणना अनुभव एवं पदोन्नति के लिए की जायेगी।
- 2 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा काल में केवल नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं विशेष वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, परियोजना भत्ता, धुलाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो किसी भी नाम से जाने जाते हों, देय नहीं होंगे। इसी प्रकार जहां निर्धारित गणवेश पहनना विधिक रूप से अनिवार्य हो, को छोड़कर गणवेश भी देय नहीं होगी।
- 3 नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन (विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा महंगाई वेतन/भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है। किन्तु दुराचार/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चरित्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नहीं होने के मामले में उसकी सेवाएं किसी भी प्रकार की लिखित सूचना/मुआवजा के बिना समाप्त की जा सकेगी।
- 4 पदभार ग्रहण करने के समय अभ्यर्थी को स्वयं के नाम से जारी 100/- रु. मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक बॉण्ड (प्रारूप परिशिष्ट-‘अ’ संलग्न है) जो कि प्रसारण निगम में देने सम्बन्धी प्रयोजन में हो, देना होगा, जिसमें वह यह घोषणा करे कि वह परिवीक्षा प्रशिक्षु काल में तथा परिवीक्षा काल समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक प्रशिक्षण/सेवा को नहीं छोड़ेगा या त्यागपत्र नहीं देगा या कोई अन्य नौकरी नहीं करेगा। यदि वह इन नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे निगम द्वारा दिये गये सभी प्रकार के पारिश्रमिक, प्रशिक्षण में निगम द्वारा किये गये खर्च तथा सूचना अवधि की वेतन की राशि निगम को देनी होगी। जो कि अधिकतम 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) होगी, केवल TA&DA (जो कि संबंधित नियमों के अनुसार दिया गया है,) में छूट होगी और अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान जो कि प्रसारण निगम को देय हो, देना होगा। उक्त राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, मांग तिथि से एकमुश्त भुगतान की तिथि तक देय होगा।
- 5 नियुक्त व्यक्ति तीन वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने से पूर्व निगम सेवा से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे तीन माह पूर्व सक्षम अधिकारी को लिखित नोटिस देना होगा। यदि वह उक्त प्रावधान का उल्लंघन करता है तो तीन माह की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उसके बराबर वेतन का भुगतान निगम को क्षतिपूर्ति के रूप में करना होगा। राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में राशि की कटौती उसको देय वेतन एवं अन्य बकाया भुगतानों से की जा सकेगी।
- 6 उक्त अभ्यर्थियों को जमानत के तौर पर किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी जिसकी ग्रेड पे 2000 या अधिक हो, की जमानत (Surety) देनी होगी। जिसमें यह उल्लेखित हो की यदि वह शर्त संख्या 4 की अनुपालना के बिना निगम की सेवा का त्याग करता है तो उस केन्द्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी द्वारा निगम को क्षतिपूर्ति/हर्जाना देना होगा। (प्रारूप परिशिष्ट ‘ब’ संलग्न है)



7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्य पर रहते हुए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं परिवीक्षा काल के दौरान स्थानांतरण पर मासिक नियत पारिश्रमिक के आधार पर माइलेज भत्ता एवं इंसीडेंटल चार्ज ही देय होंगे।
8. नियुक्त व्यक्ति निगम की भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के सदस्य होंगे एवं इनके वेतन से पीएमसीएफ की कटौती नहीं की जायेगी।
9. यदि नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नहीं आता हो तो वह मेडीकलेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुर्नभरण राशि नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगा।
10. प्रशिक्षणार्थी सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत समाविष्ट होगा जिसकी प्रीमियम राशि की नियमित कर्मचारियों की भाँति उसके पारिश्रमिक में से कटौती की जायेगी।
11. निगम की आवासीय कॉलोनी में आवास उपलब्ध होने पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक को मूल वेतन मानते हुए साधारण किराये की दर से आवास आवंटित किया जा सकेगा।
12. i. परिवीक्षा प्रशिक्षु कालावधि में नियुक्त व्यक्ति को एक कैलेण्डर वर्ष में 12 एवं इससे कम अवधि के लिए इसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश देय है।
ii. परिवीक्षा प्रशिक्षु कालावधि में प्रत्येक 20 दिन के लिए एक उपार्जित अवकाश देय होगा जो कि एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 18 दिन देय होगा।
iii. सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मिनल लीव), मातृत्व/पितृत्व अवकाश नियमानुसार देय होगा।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
14. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्वधीन रहेगी। कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को अपना आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक (जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रधान चिकित्सा अधिकारी/राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध अस्पताल अधीक्षक के स्तर से कम न हो) द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु दिये गये चिकित्सा परीक्षण शुल्क की राशि का पुनर्भरण (Reimbursement) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा कर दिया जायेगा।
15. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अध्वधीन रहेगी। कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अभाव में उसकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस/सूचना के समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी।

✓A

- 16 प्रशिक्षणार्थी की नियुक्ति बिना किसी सूचना के स्वतः समाप्त हो जायेगी, यदि यह पाया गया कि 01.06.2002 को या बाद में प्रशिक्षणार्थी के 2 से अधिक बच्चे हैं। यदि 01.06.2002 से पहले 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसकी नियुक्ति की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।
- 17 यह नियुक्ति अस्थाई है एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के अध्याधीन रहेगी।
- 18 नियुक्त व्यक्ति को आवश्यकतानुसार निगम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।
- 19 सेवा की अन्य नियम एवम शर्तें निगम के समान श्रेणी के कार्मिकों के समान होंगी।
- 20 परिवीक्षाकालावधि में स्थानान्तरण सम्बन्धी किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 21 नियुक्त व्यक्ति को एक लिखित उद्घोषणा इस आशय हेतु प्रस्तुत करनी होगी कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भलीभाँति पालन-पोषण करेगा एवं उनकी उचित ढंग से देखभाल करेगा। यदि किसी समय यह बात साबित हुई कि नियुक्त कर्मचारी अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रहा / रही है या उनका उचित ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो नियोक्ता अधिकारी उसे एक अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा।
- 22 उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण पत्र लिया जावेगा कि मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृतिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृतिलाभ दिया जा रहा है तो भृतिलाभ बंद करने हेतु उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें जहाँ मृतक कर्मचारी कार्यरत था तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवायें।
- 23 कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति/पदधारी को निम्नलिखित दस्तावेज एवं मूल प्रमाण पत्र संवीक्षा के लिए एवं उनकी सत्यापित प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु प्रस्तुत करनी होंगी:-
 - i सैकेण्डरी स्कूल अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी की जन्म दिनांक अंकित हो।
 - ii शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित दस्तावेज यदि कोई हो।
 - iii अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।
 - iv सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (यदि विवाहित हो)
 - v विवाहित होने की दशा में शपथ पत्र जिसमें सभी बच्चों (दत्तक एवं सौतेले सहित) के नाम और जन्म दिनांक अंकित हो और संतान नहीं होने की दशा में एक शपथ पत्र।
 - vi मूल निवास प्रमाण-पत्र।

सं

- vii यदि सामान्य/अपिव/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का अभ्यर्थी राजस्थान के घोषित जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का मूल निवासी हो तो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- viii एक स्वप्रमाणित शपथ पत्र कि उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और उसे किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोषी करार नहीं दिया गया है। यदि वह किसी भी आपराधिक मामले में दोषी है अथवा उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसका शपथ पत्र में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाये।
- ix परिवीक्षा अवधि के दौरान एवं नियुक्ति के पश्चात् निगम से किसी भी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् निगम सेवा छोड़ने /त्याग पत्र देने की स्थिति में 100/- रुपये के नान् ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड/बाध्य पत्र (प्रारूप परिशिष्ट-‘अ’ संलग्न है)।
- x किसी केन्द्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम (Public Undertaking) के कर्मचारी (ग्रेड-पे 2000 या उससे ऊपर) से परिशिष्ट-‘ब’ के अनुसार जमानती बॉण्ड/बाध्य पत्र। (नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प जमानत देने वाले के नाम से क्रय किया गया हो।)
- xi नियुक्ति के समय प्रस्तुत आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- xii नियुक्ति के समय प्रस्तुत पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।
- xiii शर्त 21 के अनुसार लिखित बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग)।
- xiv शर्त 22 के अनुसार लिखित लिखित बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग)।
- xv शपथ पत्र बाबत दिवंगत कर्मचारी का कोई भी (पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड,संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो-के अधीन पहले से ही नियोजित नहीं है परन्तु मृतक कर्मचारी की पत्नि के नियुक्ति प्रकरण में यह शर्त लागू नहीं होगी।
- xvi दो उत्तरदायी व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो कि छः माह से पूर्व का जारी न किया गया हो।
- xvii बचनबंधता (अंडरटेकिंग) – कि नियुक्ति के पश्चात कर्मचारी धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करेगा। (बचनबंध प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट ‘स’ संलग्न है)
- xviii नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि पर स्वलिखित एवं हस्ताक्षरित स्वीकृति जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि – “मैंने अपने सहायक-द्वितीय (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु) के नियुक्ति आदेश के नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ।”


LSA

यदि नियुक्ति की उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य है तो अभ्यर्थी पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करें । निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थिति नहीं देने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जायेगा ।

सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी उक्त अभ्यर्थी के कार्य पर उपस्थित होने की सूचना इस कार्यालय को भिजवायें ।

संलग्न :-


आज्ञा से,


(पुखराज सेन)

सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य लेखा नियंत्रक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर ।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर ।
3. मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी) राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (टी.एण्ड.सी) रा.वि.प्र.नि.लि, अलवर ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (एम.आई.एस.) रा.वि.प्र.नि., जयपुर को उक्त आदेश को मय संलग्नक प्रसारण निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
6. उप निदेशक कार्मिक (मुख्यालय/टी.एण्ड.सी.) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर ।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर ।
8. अधिशाषी अभियन्ता (220 के.वी. जी.एस.एस.) रा.वि.प्र.नि.लि, एम.आई.ए., अलवर ।
9. सचिव (अंशदायी भविष्य निधि न्यास), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर ।
10. लेखाधिकारी (टी.एण्ड.सी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, अलवर ।
11. सहायक अभियन्ता (132 के.वी. जी.एस.एस.) रा.वि.प्र.नि.लि, गोविन्दगढ़ ।
12. निजी सचिव-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर ।
13. निजी सहायक, सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर ।
14. सहायक कार्मिक अधिकारी (तकनीकी) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर ।
15. श्री भीम सिंह पुत्र स्व. श्रीमती शान्ती देवी, निवासी गांधी नगर, छः खम्बों के पास, रेल्वे स्टेशन के पास, भरतपुर (राज.) - 321203
16. कार्यालय पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली ।



(अमिताभ गुप्ता)
संयुक्त निदेशक कार्मिक

21/7/16

